



महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय , केरल, तिरुवनंतपुरम
**OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I), KERALA,
THIRUVANANTHAPURAM**



सं.प्रशा.(ले प)/III/MACPS/Vol.XII/

दिनांक:17.03.2025

अनुभागीय आदेश सं. 397/SECTIONAL ORDER No. 397

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन निम्नलिखित वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों को प्रदान किए गए हैं, जो प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से प्रभावी होंगे।

Financial upgradation under MACP Scheme for Central Government employees has been granted to the following Senior Audit Officers with effect from the date noted against each.

क्रम सं. Sl. No.	नाम (श्री/श्रीमती) Name (Shri./Smt.)	पद Designation	वर्तमान स्तर Existing Level	नवीन स्तर New Level	पात्रता दिनांक Date of Eligibility	उन्नयन स्थिति Status of Upgradation
1.	बेनसिमोल ए Bensimol A	वरि. ले प. अ. Sr.AO	स्तर 10 Level 10	स्तर 11 Level 11	15.03.2025	द्वितीय एमएसीपी 2 nd MACP
2.	मंजु आर एस Manju RS	वरि. ले प. अ. Sr.AO	स्तर 10 Level 10	स्तर 11 Level 11	15.03.2025	द्वितीय एमएसीपी 2 nd MACP

पदोन्नति दिए जाने पर वेतन निर्धारण का लाभ भी एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के समय दिया जाएगा। यदि वे एफआर 22(1)(क)(1) के तहत विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर लिखित रूप में विकल्प देना होगा।

The benefit of pay fixation on grant of promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation under MACP Scheme. If they intend to exercise option under FR 22(I)(a)(1), they should give the option in writing within one month from the date of issue of this order.


योजना के तहत वित्तीय उन्नयन दिए जाने पर पदनाम, वर्गीकरण या उच्चतर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि, वित्तीय और कुछ अन्य लाभ जो कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन से जुड़े हैं जैसे कि एचबीए, सरकारी आवास का आवंटन आदि की अनुमति होगी।

On grant of financial upgradation under the Scheme, there shall be no change in designation, classification or higher status. However, financial and certain other benefits which are linked to the pay drawn by an employee such as HBA, allotment of Govt. accommodation shall be permitted.

एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन कर्मचारी के लिए पूरी तरह से व्यक्तिगत होगा और उसकी वरिष्ठता स्थिति से इसका कोई संबंध नहीं होगा। योजना के तहत वेतन निर्धारण के कारण वरिष्ठ की तुलना में कनिष्ठ को अधिक वेतन मिलने पर वेतन में कोई वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

Financial upgradation under MACP Scheme shall be purely personal to the employee and shall have no relevance to their seniority position. No stepping up of pay would be admissible with regard to junior getting more pay than the senior on account of pay fixation under the Scheme.

(Vide orders dated 29.08.2024 of Accountant General)


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / (प्रशासन)
Senior Audit Officer (Admn.)

प्रतिलिपि / Copy to:

1. अनु.आ.पुस्तिका /SO Book
2. संबंधित पदाधिकारीगण /Officials concerned
3. सभी समूह अधिकारी /All Group Officers
4. म. ले.(ले प -I). / म. ले.(ले प - II). के सचीव/Secretary to AG (Au-I) / AG (Au-II)
5. वरिष्ठ ले प. अ. /का.स्था., शा. कार्यालय, तृशूर /कोच्ची /Sr.AO/OE, Br.Office, Thrissur/Kochi
6. सभी शाखा कार्यालय /All Branch Offices
7. वरिष्ठ ले प. अ./ प्रशा.(ले प -II)/Sr.AO/Admn.(Au- II)
8. का.स्था.(प्रशा./बिल/रोकड़/हक.) ले प -I/ ले प -II/OE (Admn/Bills/Cash/Entt) Au-I/Au-II
9. पेंशन इकाई/Pension Unit
10. पीएओ /PAO I, II, III